UPME010080072026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2248/2026

नितिन राणा पुत्र अशोक उर्फ अशोक राणा, निवासी–ग्राम मसूरी बना, थाना–इंचौली, जिला–मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–211/2026
अं0धारा–3(5),109,127(2),333,351(3),
352 बी0एन0एस0
थाना–ब्रहमपुरी, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री विमल कुमार तोमर, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

दिनांक–04.06.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त नितिन राणा की ओर से मुकदमा अपराध सं0–211/2026, अं0धारा–3(5),109,127(2),333,351(3),352 बी0एन0एस0, थाना–ब्रहमपुरी, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 16.05.2026 की रात्रि लगभग 11.00 बजे वादिनी का दामाद सह–अभियुक्त अंकित शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित अपने दो–तीन दोस्तो के संग शराब के नशे में उसके घर आया और उसके व उसकी बेटी सृष्टि शर्मा के साथ गाली–गलौज करने लगा, विरोध करने पर उसने पिस्टल निकाल कर जान से मारने की नीयत से उनपर फायर कर दिया, जिससे वह बाल बाल बच गये।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है।
- कथित घटना का कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है।
- कथित घटना में किसी को कोई चोट नहीं आयी है।
- प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। उसके विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पक्ष पर जान से मारने की नीयत से फायर किये जाने के आरोप हैं।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में गोली चलाने की भूमिका सह–अभियुक्त की दर्शायी गयी है। उसके कब्जे से दस दिन बाद बरामदगी दर्शायी गयी है।

10. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि घटनास्थल से एक अदद बुलेट की बरामदगी हुई है। वादी व अन्य साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। उसके विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पक्ष पर जान से मारने की नीयत से फायर किये जाने के आरोप हैं, किन्तु कथित घटना में किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है।

12. कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट चार दिन पश्चात लिखायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में गोली चलाने की भूमिका सह–अभियुक्त की दर्शायी गयी है।

13. दौरान विवेचना घटनास्थल से एक अदद बुलेट की बरामदगी दर्शायी गयी है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

14. अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध निम्न मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नलिखित है–

क्रम सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**
1	208/2026	125/324(4) बी0एन0एस0	ब्रहमपुरी
2	211/2026	109,3(5),127(2),333,351(3),352	ब्रहमपुरी

15. यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक इतिहास पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु आपराधिक इतिहास मात्र जमानत प्रार्थनापत्र का निरस्त किये जाने का आधार नहीं है।

16. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

17. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई मत प्रकट किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त नितिन राणा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ₹ 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायः–

1. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
2. विवेचक द्वारा तलब किए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त साक्षियों को डराएगा–धमकाएगा नहीं और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।
4. विवेचक की अनुमति के बिना दौरान विवेचना जिले से बाहर नहीं जायेगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
6. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 04.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)